न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 27 सन 2022

अनवान :–

1. बंशीलाल पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. जयप्रकाश पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. ठाकरराम पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. कुलविन्द्र पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर
3. राहुल पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर
4. धर्मपाल पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर
5. बिरबल पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर
6. राजकुमार पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर
7. मैना देवी पुत्री ठाकरराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर
8. सुनीता पुत्री बीरबल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 02/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 41/41 की कुल 3.0360हैक में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 42/42 की कुल 9.1304हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भानीराम वल्द नत्थुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भानीराम वल्द नत्थुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भानीराम वल्द नत्थुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का दादा है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादीगण के पिता है जो भूमि काश्त करने में असमर्थ है एव प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादीगण की बहन बुआ है प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 8 वादी के दादा/पिता/बुआ/बहने ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता भानीराम वल्द नत्थुराम के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पौत्र/पुत्र/भाई/भतिजो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 41/41 की कुल 3.0360हैक में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 42/42 की कुल 9.1304हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भानीराम वल्द नत्थुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भानीराम वल्द नत्थुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भानीराम वल्द नत्थुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का दादा है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादीगण के पिता है जो भूमि काश्त करने में असमर्थ है एव प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादीगण की बहन बुआ है प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 8 वादी के दादा/पिता/बुआ/बहने ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 41/41 की कुल 3.0360हैक में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 42/42 की कुल 9.1304हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि भानीराम वल्द नत्थुराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा भानीराम वल्द नत्थुराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा भानीराम वल्द नत्थुराम के देहान्त होने के वाद विरास्तान से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जेएराएन के खाता संख्या 41/41 की कुल 3.0360हैक में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 42/42 की कुल 9.1304हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 370/375(1) के किला न0 23/0.076हैक , प0न0 370/376(4) के किला न0 3/0.2530 ,4/0.2020 ,5/1 की 0.025हैक गै0मु0खाला, 5/2 की 0.088हैक , 6/1 की 0.025हैक गै0मु0खाला, 6/2 की 0.2280हैक 7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/1 की 0.025हैक गै0मु0खाला , 15/2 की 0.2280हैक , 16/1 की 0.051हैक 16/3 की 0.025हक गै0मु0खाला, 17/2 की 0.0506हैक ,18/1 की 0.0506हैक 19/1 की 0.0506हैक व प0न0 371/376(3) के किला न0 1/0.012हैक , 9/0.126हैक , 10/0.1270हैक 11/0.2530 ,12/0.2530 ,19/1 की 0.0633हैक 20/2 की 0.0633हैक भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिव के खातेदार काश्तकार है तथा प0न0 373/377(16) किला न0 25/0.2530 ,प0न0 373/378(21) के किलान0 4/1 की 0.038हैक गै0मु0रास्ता, 4/2 की 0.2150हैक 5/1 की 0.063हैक गै0मु0रास्ता, 5/2 की 0.1900हैक 6/1 की 0.025हैक गै0मु0रास्ता ,6/2 की 0.228हैक , 7 की 0.2530हैक ,14/2 की 0.1518हैक 15/2 की 0.026हैक गै0मु0रास्ता, 15/3 की 0.1370हैक व प0न0374/377(17) के किला न0 21/0.2530 ,प0न0 374/378(20) के किला न0 1/1 की 0.038हैक गै0मु0रास्ता , 1/2 की 0.2150हैक 10/0.2530हैक 11/1 की 0.1518हैक 17/2 की 0.1987हैक 18/2 की 0.1900हैक 19/1 की 0.1897हैक 22/0.2530हैक 23/0.2530 ,24/0.2530 ,प0न0 374/379(45) के किला न0 2/0.2530 ,3/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,12/0.2530 ,13/.2530हैक भूमि में से 0.380हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बंशीलाल पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. जयप्रकाश पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. ठाकरराम पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. कुलविन्द्र पुत्र राजकुमार जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर
3. राहुल पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर
4. धर्मपाल पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर
5. बिरबल पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर
6. राजकुमार पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर
7. मैना देवी पुत्री ठाकरराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर
8. सुनीता पुत्री बीरबल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 27 सन 2020 निर्णय दिनांक– 02/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 41/41 की कुल 3.0360हैक में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 42/42 की कुल 9.1304हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 370/375(1) के किला न0 23/0.076हैक , प0न0 370/376(4) के किला न0 3/0.2530 ,4/0.2020 ,5/1 की 0.025हैक गै0मु0खाला, 5/2 की 0.088हैक , 6/1 की 0.025हैक गै0मु0खाला, 6/2 की 0.2280हैक 7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/1 की 0.025हैक गै0मु0खाला , 15/2 की 0.2280हैक , 16/1 की 0.051हैक 16/3 की 0.025हक गै0मु0खाला, 17/2 की 0.0506हैक ,18/1 की 0.0506हैक 19/1 की 0.0506हैक व प0न0 371/376(3) के किला न0 1/0.012हैक , 9/0.126हैक , 10/0.1270हैक 11/0.2530 ,12/0.2530 ,19/1 की 0.0633हैक 20/2 की 0.0633हैक भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिव के खातेदार काश्तकार है तथा प0न0 373/377(16) किला न0 25/0.2530 ,प0न0 373/378(21) के किलान0 4/1 की 0.038हैक गै0मु0रास्ता, 4/2 की 0.2150हैक 5/1 की 0.063हैक गै0मु0रास्ता, 5/2 की 0.1900हैक 6/1 की 0.025हैक गै0मु0रास्ता ,6/2 की 0.228हैक , 7 की 0.2530हैक ,14/2 की 0.1518हैक 15/2 की 0.026हैक गै0मु0रास्ता, 15/3 की 0.1370हैक व प0न0374/377(17) के किला न0 21/0.2530 ,प0न0 374/378(20) के किला न0 1/1 की 0.038हैक गै0मु0रास्ता , 1/2 की 0.2150हैक 10/0.2530हैक 11/1 की 0.1518हैक 17/2 की 0.1897हैक 18/2 की 0.1900हैक 19/1 की 0.1897हैक 22/0.2530हैक 23/0.2530 ,24/0.2530 ,प0न0 374/379(45) के किला न0 2/0.2530 ,3/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,12/0.2530 ,13/.2530हैक भूमि में से 0.380हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के रालग्न 5000/– रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner